संख्या-28/2021-829 /58-2021-22/2021

प्रेषक

रवि शंकर मिश्र,
उप सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 26 मार्च, 2021**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत जिला व मण्डलीय कार्यालय, सार्वजनिक उद्यान एवं प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र की योजनान्तर्गत विद्युत, जलकर, किराया उपशुल्क एवं पुनरीक्षित वेतन का अवशेष मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-146/बजट/2020-21, दिनांक 17.03.2021 एवं शासन के पुनर्विनियोग सं0-आर.ई.-635/ई-341/दस-2021, दिनांक 24.03.2021 तथा पृष्ठांकन सं0-752/58-2021-22/2021, दिनांक 25.03.2020 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में लेखाशीर्षक-2401-001-05-जिला व मण्डलीय कार्यालय 01-वेतन मद में हो रही बचतों के सापेक्ष 2401-001-05-जिला व मण्डलीय कार्यालय, 2406-02-112-03 -सार्वजनिक उद्यान एवं 2415-80-004-06- प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र की योजनान्तर्गत विद्युत, जलकर, किराया, उपशुल्क एवं 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष मदों में क्रमशः रु0-71.87 लाख, रू0-136.96 तथा रु0-6.30 लाख, इस प्रकार कुल रु0-215.13 लाख(रूपये-दो करोड़ पंद्रह लाख तेरह हजार) मात्र को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं उक्त धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। निर्धारित प्रक्रिया एवं सक्षम स्तर के अनुमोदन लेते हुए ही धनराशि व्यय किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(5) योजनान्तर्गत व्यय धनराशि के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय, किसी अन्य योजना से द्विरावृत्ति न हो।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस- 2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1 -192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या-5/ 2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययता के संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

(8) अनुमोदिन की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिससे ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(9) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

(11) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययता के संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

(12) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियन्त्रक, उद्यान इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

(13) बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(14) उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/वित्त नियन्त्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियन्त्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

(15) यदि विभाग द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शर्तो का विचलन किया जाता है तो उसके लिए निदेशक, उद्यान तथा वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग एवं सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान सीधे उत्तरदायी होंगे।

(16) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा। अप्रयुक्त धनराशि शासन को यथा समय समर्पित की जायेगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेखाशीर्षक-2401-001-05-जिला व मण्डलीय कार्यालय 01-वेतन मद में हो रही बचतों के सापेक्ष 2401-001-05-जिला व मण्डलीय कार्यालय-10 जलकर/जल प्रभार-17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामितव-52-

http://shasanadesh.up.gov.in

पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय), 2406-02-112-03-सार्वजनिक उद्यान-09-विद्युत देय-10-जलकर/जलप्रभार-17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) एवं 2415-80-004-06-प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द-09- विद्युत देय मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

3- उक्त धनराशि को पुनर्विनियोग के निर्धारित प्रपत्र बीएम-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149 /दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(**रवि शंकर मिश्र)**
उप सचिव।

<u>संख्या-28/2021-829 (1)/58-2021-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in